कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल–25, रामगंगा विहार–प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद–दूरभाष संख्या–0591–2450066)

पत्रांक 2061 /14–1 दिनांक, मुरादाबाद, मार्च, 13, 2018.

सेवा में,

उपमहा प्रबन्धक,
सिटी एनर्जी लि0, सी0एन0जी0 स्टेशन,
ग्राम धनूपुरा, 14 कि0मी0 माईल स्टोन,
एन0एच0–24,मुरादाबाद।

विषयः– मुरादाबाद–बरेली–लखनऊ मार्ग (एन0एच0–24) कि0मी0 163 से 164 के मध्य बॉयी पटरी परग्राम मुस्तफाबाद के खसरा सं0–196/03 में सिटी एनर्जी लि0,मुरादाबाद द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1009 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0–8बी/यू0पी0/09/69/2017/एफ0सी0 /846 दि0 06–03–2018.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करें। इस संबन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त संदर्भित पत्र दि0 06–03–2018 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0–1 से 7 तक के संबन्ध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–2501/11–सी0 दिनांक24–05–2016**(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ की पत्र सं0–384/2–37–2 (ई–पेमेन्ट पोर्टल) दि0 14–09–2015 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार वांछित अभिलेख तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस संबन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके–

(1) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 **17350/–** का भुगतान ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा लखनऊ के पत्रांक–943/2–37–2(ई–पेमेन्ट पोर्टल) दिनांक 08–12–2017 **(छायाप्रति संलग्न)** के बिन्दु सं0–34 में उल्लिखित **एडहॉक कैम्पा ,नई दिल्ली के संशोधित खाता सं0*(Compensatory Afforestation Fund (C.A.F.) A/C No. 520101263743736 Corporation Bank C.G.O. Complex, Lodi Road New Delhi-*110003** के नाम देय हो, इस कार्यालय में जमा करना होगा।

(2) (क) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05–02–2009 के तहत् दिये गये आदेशानुसार **शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के अनुसार निर्धारित धनराशि रू0** (0.1009 है0 दर प्रति है0 रू0 636000/–) **63,164/–** की धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा लखनऊ के पत्रांक–943/2–37–2(ई–पेमेन्ट पोर्टल) दिनांक 08–12–2017 के बिन्दु सं0–34 में उल्लिखित एडहॉक कैम्पा ,नई दिल्ली के संशोधित खाता सं0***(Compensatory Afforestation Fund (C.A.F.) A/C No. 520101263743736 Corporation Bank C.G.O. Complex, Lodi Road New Delhi-*110003** के नाम देय हो, इस कार्यालय में जमा करना होगा।

(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की आनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाय। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

क्रमशः–2– पर

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम सतर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0की दर में बढ़ोत्तरी होती है बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

(3) विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांतर एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

(4) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच में (312.00 वर्ग मी0)भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर किया जायेगा।

(6) प्रयोक्ता अभिकरण उवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा–निर्देशों का पालन करेगी।

(7) इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के उल्लंघन के सम्बंध में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

छपानः– बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि ***(प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–प–105/16–57 (लाट) दि0 23–9–2014 के बिन्दु सं0–2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0 10/– प्रति वृक्ष के आधार पर) 02 वृक्ष दर 10/– रू0 प्रति वृक्ष)*** रू0 20/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्रांक–II/FC/ROC/95-2011/part-V-1227 दिनांक 02–02–2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विषयक कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
3– लेखा लिपिक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद।
4– क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुरादाबाद।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र संख्या– 8बी / यू.पी. / 09 / 69 / 2017 / एफ.सी. / 846 दिनॉक: 01.03.2018

06-3-18

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/23468/2017

विषयः मुरादाबाद बरेली लखनऊ मार्ग एन0एच0–24 किमी0 163 से 164 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद के खसरा संख्या– 196 / 03 में सिटी एनर्जी लि0 मुरादाबाद द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1009 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– 148 / 14–2–2018–800 (109) / 2017, दिनांक– 31.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तार प्रदेश शासन का पत्रांक– पी–103 / 14–2–2017–800 (109) / 2017, दिनांक– 06.10.2017 का आशय ग्रहण करने ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 18.10.2017 द्वारा आवश्यक सूचनाएं चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव (वन), उ0 प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार मुरादाबाद बरेली लखनऊ मार्ग एन0एच0–24 किमी0 163 से 164 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद के खसरा संख्या– 196 / 03 में सिटी एनर्जी लि0 मुरादाबाद द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1009 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

   (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

6/3/18

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एव पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पैट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (312.00वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन नही किया जाएगा।

7. इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रस्तुत करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक– 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0 प्र0।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद, उ0 प्र0।
5. उप महाप्रबन्धक, सिटी एनर्जी, सी0एन0जी0 स्टेशन, ग्राम–घन्नुपुरा, 14 किमी0 माइलस्टोन, एन0एच0–24, मुरादबाद, उ0प्र0।
6. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली

6/3/18
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 2610 /मुरादाबाद/23468/2017, दिनांक, लखनऊ, मार्च 09 , 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, **मुरादाबाद** को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराकर, इस कार्यालय के पत्रांक–2501/11सी, दि0 24.05.16 द्वारा निर्धारित प्रारुप में बिन्दुवार अनुपालन आख्या/अभिलेख **तीन मूल प्रतियों में** इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 **मुरादाबाद** को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो के अनुपालन हेतु आवश्यक धनराशि, **प्रयोक्ता एजेन्सी से ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कराकर** जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण निर्धारित प्रारूप में अंकित करते हुए मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करें तथा प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें एवं इस कार्यालय के पत्रांक–2501/11सी, दि0 24.05.16 द्वारा निर्धारित प्रारूप में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अभिलेख तथा जमा धनराशि की पुष्टि हेतु Online Payment History की प्रति सहित वन संरक्षक, **मुरादाबाद** को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि उपमहाप्रबन्धक, सिटी एनर्जी, सी0एन0जी0 स्टेशन, ग्राम–घन्नुपुरा, 14 किमी0 माइलस्टोन, एन0एच0–24, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराकर, बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, **मुरादाबाद** को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9/3
(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।